Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/12400/2002/बीकानेर

रामचन्द्र पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी चक 1 के.एच.एम. तहसील व जिला बीकानेर

अपीलार्थी

बनाम

1 लक्ष्मणसिंह पुत्र फूससिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खारा तहसील बीकानेर
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीकानेर

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थी
श्री के.के.पुरोहित वकील प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांकः.8.3.18

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 16/96 में पारित निर्णय दिनांक 9. 11.98 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 लख्मणसिह ने एक वाद अन्तर्गत धारा 15एएए व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संशोधित नियम 1992 तथा धारा 125 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी उत्तर, बीकानेर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खारा के खसरा नम्बर 23, नये खसरा नम्बर 62/9 की 21 बीघा भूमि पर वादी सम्वत 2005 के पूर्व से काबिज काश्त चला आ रहा है। सम्वत 2012 में अधिनियम प्रभाव में आने के समय भी वादी काबिज काश्त रहा। सम्वत 2019 में उपनिवेशन में आने पर मुताबिक सूची नम्बर 4 चक 1 के.एच.एम. के मु.नं. 128/12 के किला नम्बर 13, 18, 19, 21 ता 24 की 7 बीघा व मु.न.

128/13 के किला नम्ब्र 1 ता 4, 6 ता 9 व 12 ता 15, 17, 14 की 14 बीघा इस प्रकार कुल 21 बीघा पैमूद हुई। वादी धारा 15एएए का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा स्वीकार कर वादी को उक्त 21 बीघा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी राज्य पक्ष ने जबाबदावा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 24.4.96 से वादी को उक्त आराजीयात में से मु.नं. 128/12 के किला नं. 23, 24 की 2 बीघा व मु.नं. 128/13 के किला नं. 1 तजा 4, 6 ता 9, 12 ता 15, 17, 18 की 14 बीघा कुल 16 बीघा का खातेदार घोषित किया एवं मु.नं.128/12 के किला नं. 13, 18, 19, 21, 22 की 5 बीघा को रकबाराज घोषित किया। इसके विरूद्व वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत कर उक्त 5 बीघा का खातेदार घोषित कराने का निवेदन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने निर्णय दिनांक 9.11.98 से अपील स्वीकार कर वादी को 5 बीघा का खातेदार घोषित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि मु.नं. 128/12 के किला नम्बर 23, 24 रकबा 2 बीघा तथा मु. नं. 128/13 के किला नम्बर 1 से 4, 6 से 9, 12 ता 15, 17 व 18 की 14 बीघा कुल 16 बीघा का आवंटन दिनांक 30.10.75 को लक्ष्मणसिंह प्रत्यर्थी संख्या 1 को आवंटित की गई एवं मु.नं. 128/12 के किला नं. 13, 18, 19, 21, 22 की 5 बीघा रकबा राज घोषित करके दिनांक 14.3.88 को अपीलार्थी के पिता धन्नाराम को स्माल पेच में रिर्जव प्राइज पर पुख्ता आवंटन कर दी गई। खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये एवं वर्तमान में यह 5 बीघा भूमि अपीलार्थी के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादी प्रत्यर्थी का 21 बीघा पर खातेदारी घोषित कराने का दावा मेन्टेनेबिल नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जांच नहीं की एवं अपीलार्थी को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि वह प्रभावित पक्षकार है जिससे उसे वाद में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। दिनांक 30.10.75 को पत्रावली सलाहकार समिति की बैठक में पेश होने पर वादी प्रत्यर्थी को उक्त 16 बीघा भूमि पुख्ता आवंटन की गई एवं पुख्ता आवंटन के समय तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मणसिंह के पिता के नाम 125 बीघा है जिसमें प्रार्थी के हिस्से में 9 बीधा कमाण्ड भूमि आती है। इसी आधार पर प्रार्थी को 16 बीघा का पुख्ता आवंटन किया गया। इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा चुनौति नहीं दी गई जिससे यह अन्तिम हो चुका है। अपीलार्थी के पिता को आवंटित उक्त 5 बीघा भूमि के लिए अपीलार्थी के पिता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने आवेदन नहीं किया जिससे अपीलार्थी के पिता को स्माल पेच में रिजर्व प्राइज पर दिनांक 14.3.88 को आवंटित की गई। यह भूमि

अपीलार्थी की खातेदारी की अन्य भूमि से लगती हुई है जिससे उसे आवंटित की गई है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वर्तमान अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालयों में पक्षकार नहीं था। राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने वर्तमान अपीलार्थी का आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था एवं उसे पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह अपील चलने योग्य ही नहीं है। विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने बहस में आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी के पिता के पक्ष में हुआ आवंटन राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 6.7.91 को निरस्त हो चुका है जिससे वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। वादी प्रत्यर्थी का पूरे 21 बीघा भूमि पर सम्वत 2005 से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। रकबाराज बिला अधिकार दर्ज की गई है। विवादित भूमि सम्पूर्ण 21 बीघा पर वादी प्रत्यर्थी का कब्जा होने से ही उसे आवंटित की गई थी एवं वह धारा 15एएए के संशोधित प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्व अपील प्राधिकारी ने सभी तथ्यों को देखकर आलौच्य निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के साथ ही वादी भी चिपता काश्तकार था तथा अन्य चिपते काश्तकार हैं जो पत्रावली से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में बाला बाला लघु पटटी आवंटन नहीं हो सकता था। अस्थाई पटटाधारक होने से नियमों में मेरी प्रथम प्राथमिकता रहती है। ऐसी स्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय सही है। जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने मु0नं0 128/12 के किला नम्बर 23, 24 की 2 बीघा, मु0नं0 128/13 के किला नम्बर 1 ता 4, 6 ता 9, 12 ता 15, 17, 18,21, 22 की 14 बीघा कुल 16 बीघा का वादी प्रत्यर्थी को खातेदार घोषित किया एवं मु.नं. 128/12 के किला नम्बर 13, 18, 19, 21, 22 की 5 बीघा को रकबाराज घोषित किया। इसके विरूद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर ने स्वीकार कर उक्त 5 बीघा भूमि का भी वादी को खातेदार घोषित कर दिया।

7. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 30.10.75 को वर्तमान प्रत्यर्थी वादी को उक्त आराजीयात की 21 बीघा में से 16 बीघा भूमि आवंटित की गई थी एवं शेष 5 बीघा रकबाराज दर्ज की गई क्योंकि वादी प्रत्यर्थी के पास 9 बीघा भूमि नोशनल

शेयर से पिता से मानी मानी गई थी। इस आदेश को अपीलार्थी/प्रत्यर्थी द्वारा चुनौति दी गई हो ऐसा कोई सप्रमाण कथन नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अन्तिम हो गया है। सरकार ने दिनांक 30.10.75 के आदेश एवं विचारण न्यायालय के आदेश, राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश को कोई चुनौति नहीं दी है। ऐसी स्थिति में अन्यथा अनुमत होने पर भी अपीलार्थी केवल पांच बीघा की खातेदारी देने तक की ही बात प्रश्नगत कर सकता है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में काश्तकारों को आरजी काश्त पर भूमि दी जाने के पश्चात ऐसे काश्तकारों को आवंटन में नियमों में प्राथमिकता दी गई और वह 25 बीघा तक आवंटन करा सकते थे। ऐसी स्थिति में दिनांक 30.10.75 के आदेश को चुनौति नही देने के कारण अब वह (वादी) उस आदेश द्वारा निर्णीत रकबे के बारे में घोषणा के वाद द्वारा अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता है।

8. धारा 15एएए का नियम पश्चात में आया उससे पूर्व 1988 में अपीलार्थी को भूमि स्मालपेच में आवंटित हो गई। वर्ष 1991 में यह रिमाण्ड हुआ। अपीलार्थी का कथन है कि उसे स्माल पेज में आवंटन हुआ है और प्रत्यर्थी के अनुसार पत्रावली में जो फोटोप्रति लगी हुई है यद्यपि वे प्रमाणित प्रतियां नहीं है किन्तु उनके अनुसार अपीलार्थी के सिवाय प्रत्यर्थी एवं एक अन्य व्यक्ति भी चिपता काश्तकार था। ऐसी स्थिति में आवटन करने की अर्थात इच्छुक होने पर प्रत्यर्थी भी अपीलार्थी की तरह पात्र इस दृष्टि से हो सकता था किन्तु ये फोटोप्रति होने से इन पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता और साथ ही जब यह कथन आया है कि अपीलार्थी का आवंटन का प्रकरण रिमाण्ड हो गया और उपखण्ड अधिकारी के यहां लम्बित है तो एसी स्थिति में वादी/प्रत्यर्थी घोषणा एवं धारा 15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तो प्रश्न नहीं उठा सकता था किन्तु इच्छुक एवं पात्र होने पर स्माल पेच का प्रश्न उठा सकता था और चूंकि प्रकरण रिमाण्ड हो गया है, वहां पर सभी पक्षकारा अपने कथन विधि अनुसर रख सकते है और योग्य अधिनस्थ न्यायालय विधि के आलोक में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर प्रकरण का रिमाण्ड निर्देशानुसार पुनः निस्तारण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में रिमाण्ड प्रकरण पर यहां कोई राय देना उचित नहीं है। पक्षकार स्मालपेच के कथित लंबित रिमाण्ड प्रकरण में विधि अनुसार चाराजोही कर सकते हैं तथा विचारण न्यायालय द्वारा उसका विधि अनुसार निस्तारण किया जा सकता है।

9. यद्यपि अपीलार्थी ने धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में उसका आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत हुआ है किन्तु अब अपील प्रस्तुत होने के 15 वर्ष पश्चात इस तकनीकी आधार पर प्रकरण के अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रख 5 बीघा में खातेदारी देने की सीमा

तक अपील खारिज करना हम उचित नहीं समझते हैं। यद्यपि राज्य सरकार ने अपील की हो अपील के साथ ऐसा कथन नहीं आया क्योंकि खातेदारी सिवायचक घोषित होने के बाद प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गई थी। किन्तु राज्य सरकार की ओर से अपील का कोई कथन प्रस्तुत नहीं हुआ है। इस तथ्य के होते हुए भी इस तकनीकी आधार पर हम अपील को प्रकरण के अन्य तथ्यों को दृष्टिगत रख 5 बीघा में खातेदारी देने की सीमा तक खारिज किया जाना उचित नहीं समझते हैं। जो कि एक ठीक करने योग्य कमी भी है और इस तकनीकी विधिक त्रुटि का दण्ड अपीलार्थी पक्षकार को प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि आज यहां अपीलार्थी के अन्तिम रूप से हक व अधिकार तय नहीं होने हैं। साथ ही यहां अपील का निर्णय और स्माल पेच आवंटन रिमाण्ड प्रकरण में विरोधाभषी निर्णय नहीं हो इसे दृष्टिगत रख हम अपीलार्थी को न्यायहित में इस अपील को पांच बीघा में खातेदारी देने की सीमा तक गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। 16 बीघा के आवंटन अथवा घोषणा को चुनौतिग्रस्त करने हेतु अपीलार्थी व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह मूलतः दिनांक 30.10.75 के आदेश से है जो चुनौति के अभाव में अंतिम हो चुका है।

10 उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय पांच बीघा में खातेदारी देने की सीमा तक दिनांक 9.11.98 निरस्त किया जाता है एवं उपखण्ड अधिकारी उत्तर बीकानेर का निर्णय दिनांक 24.4.96 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष